न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 163 / 2021 अपील / प्रतापगढ़ (GCMS 2021/175)
पंजीयन दिनांक– 16.03.2021
निर्णय दिनांक– 21.09.2021

1. ग्रामवासियान जरिये राजेन्द्रसिंह पुत्र चैनसिंह राजपुत, निवासी मोखमपुरा, तहसील व जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट

बनाम

1. श्री उमाशंकर पिता मनफूल हरिजन, निवासी प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़।
2. श्री सुनिल पिता मनफूल हरिजन, निवासी प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़।
3. श्री प्रहलाद पिता मनफूल हरिजन, निवासी प्रतापगढ़, तहसील व जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–
1. श्री ऋषभ मेघवाल –अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अतुल जैन –अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 06 / 2015 निर्णय दिनांक 21.03.2016

निर्णय

दिनांक 21.09.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 06 / 2015 निर्णय दिनांक 21.03.2016 के विरूद्ध दिनांक 26.04.2016 को न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ को पेश की गई है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में पत्रावली स्थानान्तरित होकर न्यायालय संभागीय आयुक्त में दिनांक 17.02.2020 को दर्ज की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.03.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में ग्रामवासियान घोटारसी द्वारा जरिये राजेन्द्र सिंह पिता चैनसिंह राजपुत, निवासी मौखमपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) भू–राजस्व आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घोटारसी की साबिक आराजी संख्या 514 रकबा 0.94 हैक्टेयर बने है। उक्त भूमि जरिये मिसल संख्या 1563/77 दिनांक 16.11.1977 को सक्षम भूमि आवंटन प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), प्रतापगढ़ द्वारा आवंटी श्री मनफुल पिता ईमाम जी हरिजन का आंवटित हुई। जबकि वक्त आवंटन आवंटी श्री मनफुल हरिजन राजकीय सेवारत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहे है एवं आवंटन भूमि पर उनका कभी कब्जा काश्त नही रहते हुए भी सक्षम भूमि आवंटन अधिकारी एवं राजस्व कार्मिकों द्वारा मिलीभगत करते हुए उक्त भूमि का आवंटन आवंटी के पक्ष में किया जाकर जरिये नामांतरकरण संख्या 405 दिनांक 15.11.1979 के तहत आवंटी के नाम गैर खातेदारी अधिकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। आवंटी की मृत्यु उपरांत उक्त भूमि का नामांतरकरण संख्या 212 दिनांक 18.05.1990 से रेस्पोडेंट्स के नाम गैर खातेदारी से वर्तमान आराजीयात दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि पर आवंटी मृतक दिगर गैर खातेदार के जीवनकाल से आदिनांक तक किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही रहा है तथा वर्ततान तक आवंटी के उत्तराधिकारियों अर्थात वर्तमान गैर खातेदारान द्वारा उक्त भूमि का किसी प्रकार कृषि

प्रयोजनार्थ उपयोग–उपभोग नही किया गया है, न ही कराया गया है। जबकि उक्त भूमि मौके पर पड़त होकर ग्राम घोटारसी एवं मौखमपुरा के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ कच्चे श्मशान (बच्चों के श्मशान) प्रयोजन में काम ली जा रही है। इस संबंध में रेस्पोडेंट्स द्वारा ग्राम घोटारसी में आयोजित राजस्व लोक अदालत दिनांक 18.05.2015 को उपस्थित पीठासीन अधिकारिगणों के समक्ष उक्त भूमि का कब्जा एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में यह तथ्य सर्वसाधारण (ग्रामवासियान) की जानकारी में आने के उपरांत उनके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सक्षम लोक सूचना अधिकारी/ प्राधिकारिगणों से सूचना चाही जाने पर उपलब्ध रेकार्ड नही कराई गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी उपरोक्त बिन्दुओं के विवेचन में स्वीकार फरमाया जाकर आवंटी/रेस्पोडेंटगण के नाम पर दर्ज गैर खातेदारी भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2015 निर्णय दिनांक 21.03.2016 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 21.03.2016 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः–

"प्रार्थना पत्र स्वतः निरस्त योग्य होने से खारिज किया जाता है तथा आवंटन आदेश मिसल नम्बर 1563/77 दिनांक 15.11.1979 को यथावत बहाल रखा जाता है तथा विपक्षीगण द्वारा सक्षम पीठासीन अधिकारी/सक्षम प्राधिकारिगणों के समक्ष दिनांक 18.05.2015 को प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में वांछित आगामी कार्यवाही/विधिवत विनिश्चय उपरांत अमल में लाये जाने हेतु विमुक्त रखा जाता है।"

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ मेघवाल उपस्थित व

रेस्पोडेंट्स की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल जैन उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 06.09.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात वर्तमान आराजी संख्या 514 रकबा 0.94 हैक्टेयर भूमि पर आवंटी/गैर खातेदार रेस्पोडेंटगणों के पिता का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। तथा वक्त आवंटन आवंटी के राजकीय कार्मिक होने से आवंटन नियमों के तहत वह आवंटन का सुपात्र भी नहीं था। जिससे उसके पक्ष में किया गया निःशुल्क आवंटन एवं राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी अंकन विधिक दृष्टि से निरस्त योग्य है और रहा है। इस तथ्य की जानकारी अपीलांट को राजस्व लोक अदालत दिनांक 08.05.2018 के दौरान रेस्पोडेंट्स द्वारा उक्त भूमि का कब्जा एवं गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर सर्वसाधारण (ग्रामवासियान) को ज्ञात हुआ। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः 2007 (2) RRT 1433, AIR (SC) 1128 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट्स के नाम दर्ज गैर खातेदारी भूमि उनके पिता को नियमानुसार आवंटन के पश्चात उनके द्वारा उक्त भूमि के विकास एवं सुरक्षा के दृष्टिगत लगभाग 10–20 ट्राली पत्थर मौके पर डाले गये थे। किन्तु ग्राम के प्रभुत्वधारी एवं असामाजिक व्यक्तियों द्वारा उन्हे छिन्न भिन्न किया जाकर कार्य नही करने दिया गया। तथा मौका भूमि के कुछ भाग पर कच्चा श्मशान निर्मित कर दिया। अतः आवंटी/रेस्पोडेंट्स कब्जा काश्त से विफल रहे है। किन्तु वक्त आवंटन रेस्पोडेंट्स के नाबालिग होने तथा जानकारी के अभाव में कब्जा काश्त विवादित रहा है। किन्तु समस्त प्रक्रम में आवंटी को अर्थात रेस्पोडेंट्स के पिता को किया गया आवंटन अवैधानिक नही माना जा सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के रेस्पोंडेण्ट के पिता मनफूल को वर्ष 1977 में किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के आवेदन निरस्तीकरण आवेदन को खारिज किये जाने से रूष्ठ होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आख्यापक निर्णय से जो विवेचन किया है, उसमें अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील मेमों में जो उज्र उठाये गये है एवं बहस में भी जो कथन किये हैं, उन पर गौर करने से स्थिति इस प्रकार प्रकट आती है कि अपीलाण्ट का सर्वप्रथम उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट के पिता मनफूल को दिनांक 16.11.1977 को भूमि आवंटित हुई एवं आवंटन के बाद आज तक आवंटी एवं रेस्पोंडेण्ट्स उनके वारीसान आज तक कोई आवंटित भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा, काश्त नहीं रहा है और आज भी राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदारी में दर्ज है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया है।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि आवंटन वर्ष 1977 में हुआ है एवं वर्ष 1977 में आवंटन के बाद अधीनस्थ न्यायालय में सर्वप्रथम शिकायत वर्ष 2015 में यानि करीब 38 वर्ष बाद की गयी है। गैर खातेदारी से खातेदारी 3 वर्षों के बाद दिया जाना एक प्रक्रिया है जिसकी पालना राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाना होता है। इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैसाकि विवेचन किया गया है कि 38 वर्षों के अंतराल के बाद यदि किसी आवंटन में कोई **Froud and Misreprentation** नहीं हो तो उक्त आवंटन को खारिज किया जाना विधिक नहीं होता, इस सिद्धान्त के आधार पर 38 वर्ष पुराने आवंटन को निरस्त नहीं करने का जो न्यायिक सिद्धान्तों के आधार पर विवेचन किया है, उसे हम उचित मानते हैं।

अपीलाण्ट का द्वितीय उज्र यह है कि रेस्पोंडेण्ट के पिता मनफूल हरिजन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्य किया था

तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 07.08.2015 को सूचना के अधिकार के तहत अपीलाण्ट को सूचित किया कि मनफूल ने तहसील कार्यालय में मृत्यु दिनांक 13.05.1989 तक सेवाएं दी है।

प्रकरण में जहां तक अपीलाण्ट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बिन्दु पर कोई विवेचन नहीं किया गया तो हम यह पाते हैं कि आवंटन वर्ष 1977 में हुआ है तथा तहसीलदार द्वारा जो प्रमाण–पत्र दिया गया, उसमें यह वर्णित किया गया है कि दिनांक 13.05.1989 तक मनफूल ने तहसील में सेवा दी है, इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि आवंटन वर्ष 1977 में वह राजकीय कर्मचारी था अथवा नहीं ?, तद्नुसार यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि बवक्त आवंटन आवंटी रेस्पोंडेण्ट के पिता मनफूल राजकीय कर्मचारी था अथवा नहीं, इस बाबत् प्रमाणित नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट का यह उज्र भी समायत योग्य नहीं है।

अपीलाण्ट ने अन्य उज्र यह लिया है कि उक्त भूमि पर रेस्पोंडेण्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है और आज भी ग्रामवासियान द्वारा श्मशान के रूप में उक्त भूमि का उपयोग किया जा रहा है तथा उसके 20 ट्रेक्टर पत्थर वहां पड़े है।

विधिपूर्वक आवंटी के आवंटन के सन्दर्भ में उक्त भूमि का श्मशान के रूप में उपयोग किया जा रहा हो, इस बाबत् किसी भी स्थानीय निकाय अथवा स्वतंत्र व्यक्ति, सिवाय शिकायतकर्ता अपीलाण्ट के, किसी ने भी उक्त भूमि को श्मशाम होना वर्णित नहीं किया है तथा वहां पर जो पत्थर पड़े हुए हैं, उससे अपीलाण्ट के आवंटन को अविधिक माने जाने अथवा पत्थर श्मशाम के होना प्रमाणित नहीं होते।

अपीलाण्ट ने राजकीय कर्मचारी के बारे में पुनः अपनी अपील मेमों के क्रम संख्या 7 में वर्णित किया है, जिसके बारे में हम उपर विवेचन कर चुके हैं व ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है।

अपीलाण्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर प्रस्तुत की है, उसके तथ्य इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते क्योंकि इस प्रकरण में आवंटन में कोई **Froud and Misrepresentation** किया गया हो, ऐसा तथ्य प्रमाणित नहीं है।

उपरोक्त समग्र विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के आवंटन निरस्तीकरण के आवेदन को खारिज करने में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर